



प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, ३०५०

Prof. Rajendra Singh (Rajju Bhaiya) University, Prayagraj, U.P.



पत्रांक : प्रोरासिविवि/कुसका/2026-3686

दिनांक 06 अगस्त, 2026

(संशोधित-पत्र)

सेवा में,

समस्त प्राचार्य/निदेशक,

सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान,

प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज।

विषय : सेमेस्टर परीक्षा में अनुत्तीर्ण/वर्षावरोध (Year Back) हुए विद्यार्थियों के पुनः प्रवेश (Readmission) के संबंध में।

महोदय/महोदया,

विश्वविद्यालय परिसर तथा सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों में अध्ययनरत ऐसे विद्यार्थी, जो विश्वविद्यालय की सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत आयोजित परीक्षाओं में सेमेस्टर अनुत्तीर्ण (Failed) हो गए हैं/प्रोन्नत नहीं हुए हैं अथवा वर्षावरोध (Year Back) हो गए हैं अथवा सेमेस्टर की परीक्षा छोड़ दिए हैं अथवा किसी कारण से सेमेस्टर अन्तराल (Gap) हो गया है, आगामी सत्र में सम्बंधित सेमेस्टर में अध्ययन हेतु पुनः प्रवेश (Readmission) के पात्र हैं, उनके पुनः प्रवेश की कार्यवाही समयबद्ध रूप से महाविद्यालयों/विभागों द्वारा संपादित किया जाना आवश्यक है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि ऐसे समस्त पात्र विद्यार्थियों का पुनः प्रवेश विश्वविद्यालय के द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुरूप तत्काल सुनिश्चित किया जाए, जिससे उनकी शैक्षणिक निरंतरता प्रभावित न हो तथा वे आगामी सेमेस्टर/शैक्षणिक सत्र की अध्ययन एवं परीक्षा संबंधी गतिविधियों में नियमानुसार सम्मिलित हो सकें।

पुनः प्रवेश की कार्यवाही करते समय निम्नलिखित बिंदुओं का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए:-

1. केवल विश्वविद्यालय के प्रचलित नियमों एवं अध्यादेशों के अनुसार पात्र विद्यार्थियों को ही पुनः प्रवेश प्रदान किया जाए।
2. पुनः प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क एवं महाविद्यालय की अन्य अनुमन्य देयताओं के भुगतान के उपरांत ही प्रदान किया जाए।
3. प्रत्येक विद्यार्थी का पुनः प्रवेश विवरण, विश्वविद्यालय के पोर्टल एवं महाविद्यालयीय अभिलेखों में अद्यतन किया जाए।
4. पुनः प्रवेश प्राप्त विद्यार्थी को नियमित विद्यार्थी की तरह कक्षा में उपस्थित रहना होगा तथा सभी आन्तरिक परीक्षाओं एवं विश्वविद्यालय परीक्षा में भाग लेना होगा।
5. पुनः प्रवेश की समस्त कार्यवाही महाविद्यालय द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण की जाए।
6. ऐसे विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की परीक्षा योजना, क्रेडिट अर्जन, बैक पेपर एवं प्रोन्नति संबंधी प्रावधानों की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराई जाए।
7. विषम सेमेस्टर हेतु पुनः प्रवेश के लिए प्रवेश प्रक्रिया जुलाई में तथा सम सेमेस्टर हेतु प्रवेश प्रक्रिया जनवरी में संपन्न की जाए। पुनः प्रवेश हेतु प्रवेश प्रक्रिया महाविद्यालय के पोर्टल (College Login) से ऑनलाइन पूर्ण की जाएगी तथा तिथियों का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।
8. पुनः प्रवेश (Re-Admission) हेतु विद्यार्थियों को अपने महाविद्यालय से संपर्क करना होगा। विश्वविद्यालय द्वारा पुनः प्रवेश सीधे स्वीकार नहीं किये जायेंगे अर्थात् अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के पुनः प्रवेश की पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय की होगी।

यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी पात्र विद्यार्थी का पुनः प्रवेश केवल प्रशासनिक विलंब अथवा प्रक्रियात्मक कारणों से लंबित न रहे। विश्वविद्यालय के नियमों के विपरीत किसी भी प्रकार की कार्यवाही अथवा अनावश्यक विलंब के लिए संबंधित महाविद्यालय/संस्थान स्वयं उत्तरदायी होगा।

अतः अपेक्षा की जाती है कि उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पुनः प्रवेश की कार्यवाही नियमानुसार संपन्न कराई जाय।

भवदीय,

प्रो (विनीता यादव)
कुलसचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. माननीय कुलपति महोदय, सूचनार्थ।
2. परीक्षा नियंत्रक, आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. वित्त अधिकारी, सूचनार्थ।
4. संबंधित अभिलेख हेतु।

कुलसचिव

पता: मिर्जापुररोड, नैनी, प्रयागराज, पिनकोड-211010(उ०प्र०), फोन: 0532-2256207
Address :Mirzapur Road, Naini, Prayagraj, Pincode-211010 (U.P.) Ph. 0532-2256207